न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट मोतीवाडा)

वाद संख्या :– 02/271/2015

रामनाथ बनाम धन्नी वगैरा
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 22.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट मोतीवाडा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 23.03.2009 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 541/0.07, 542/0.16, 540/0.07 है. वाके ग्राम प्रेमपुरा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 24.04.2009 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी से प्रार्थी को जबरन बेदखल कर कब्जा न करें, आराजी को जरिये रहन बय द्वारा मुन्तकिल न करें तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण बाद सूचना तामील दिनांक 22.10.2009 को उपस्थित न्यायालय आये तथा उनकी तरफ से यू.टी. पेश की गई इसके उपरांत दिनांक 14.05.2013 को उपस्थित नहीं होने पर इकतरफा कार्यवाही की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2009 से प्रचलन में है जिसे लगभग 9 वर्ष का समय हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 541/0.07, 542/0.16, 540/0.07 है. वाके ग्राम प्रेमपुरा तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 23.03.2009 का प्रचलन दावे के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 कैम्प कोर्ट मोतीवाडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट मोतीवाडा)